निगरानी 1256-I-15

न्यायालय सम्माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप सागर म.प्र.

रामकिशोर बल्द राजधर पांडेय

निवासी : ग्राम ढाना तह0 जिला सागर ...पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

आनंदमंगल बल्द बलीचंद्र मिश्रा

निवासी : ग्राम ढाना तह0 व जिला सागर अनावेदक/रेस्पोडेंट

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता पुनरीक्षण प्रस्तुत कर प्रार्थी है :–

उक्त पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय श्रीमान न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार सुरखी के राजस्व प्रकरण क्रं. 625 बी 121, 14,15 में पारित आदेश दिनांक 26/4/2015 से व्यथित होकर पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है।

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किया जाना न्यायहित में है।

2. यह कि रेस्पोडेंट द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को मौंजा सगौरिया प.ह.नं. 114 रा. नि.मं. सुरखी खसरा नंबर 32 रकवा 2.38 हैक्टेयर में से रकवा 4 एकड़ बेचने का बेचनामा /इकरारानामा 8,00,000/– रूपये में दिनांक 27/4/2015 को विधिवत स्टाम्प पर नोटराईज कराते हुये किया था तथा उक्त बेचनामा में भूमि विक्रय बावत् अग्रिम राशि 7,90,000/– प्राप्त की थी तथा शेष राशि 10,000/– रूपये रजिस्ट्री के समय प्राप्त करने हेतु लेख किया था।

3. यह कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा बेचनामा दिनांक के करीब 1 माह बाद रेस्पोडेंट से बेचनामा की शर्तों के अनुसार मौखिक रूप से कहा एवं टाल मटोल करता रहा उसके बाद पुनरीक्षण कर्ता दिनांक 17/4/2015 को एक रजिस्टर्ड नोटिस बेचनामा की शर्तों के अनुसार विक्रय पत्र निष्पादन हेतु भेजा परंतु

द. रामकिशोर

(2) राज्यसिंह आदि / आनंद सेहल नि. 1256-I/15 धारा 12 51

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.7.15	[illegible] आवेदक अभिभाषक श्री [illegible] उपस्थित। प्रकरण ग्राह्यता पर तर्क हेतु। पे.दि. 12.8.15 [illegible]	12.8.15 14/7/15
25.8.15	आवेदक अभि० के निवेदन पर न्यायहित में समय दिया गया। प्रकरण पूर्ववत ग्राह्यता पर तर्क हेतु। पे० दि० 26.8.15 (सदस्य)	26/8 25/8/15
26.8.15	प्रकरण में आवेदक अभि० उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं नायब तहसीलदार के द्वारा नोटशीट पर दिनांक 26.5.15 को दी गई टीप का अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से नायब तह० की कार्यवाही प्रशासनिक कार्यवाही है न कि न्यायिक। ऐसी दशा में प्रकरण इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का आधार नहीं है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाकर निरस्त की जाती है। (सदस्य)	26/8

31/8/15

शाक्षेमुग्वा—712—फॉर्म्स—29-2-12—5,000 प्रपत्र.